!! ओ३म् !!

INCLUSIVE AND QUALITY EDUCATION : CHALLENGES AND ISSUES

समावेशी और गुणात्मक शिक्षा : चुनौतियाँ और मुद्दे

मुख्य सम्पादक :

डॉ. राजेन्द्र कुमार गोदारा

सम्पादिका :

डॉ. रेखा सोनी

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

Scanned by CamScanner

		जिज्ञासू	
28.	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व	डा. नीलम आर्या	82-
29.	सुविधा वंचित वर्ग अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्ग में शिक्षा	डॉ. राजेश शर्मा	87-
30.	समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श	भारती बहेन बचेटा	92-
31.	उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन : भारत में उच्च शिक्षा का स्तर	डॉ. भावना उपाध्याय	96-
32.	कला एवं शिल्प–पाठ्यक्रमों में समावेश द्वारा व्यक्तित्व विकास	डॉ. सतीश कुमार	98-
33.	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व	शक्ति साहू	99-
34.	समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता		
35.	Teaching English writing skills to the Hearing Impaired: A Study in India	Bhavna Bajarh	101
36.	उच्च शिक्षा में अभिगम्यता, गुणवत्ता व रोजगार बनाम नकल की व्यवस्था	डॉ० ज्योति सिंह	106-
37.	LIFE SKILL EDUCATION	Tanu Pahuja	108-
38.	समावेशी शिक्षा : प्रचलन एवं चुनौतियाँ	डॉ. गिरधारीलाल शर्मा	110-
39.	विकलांगों को प्राप्त शिक्षा का कानूनी अधिकार (विकलांग कानून 1995 के संदर्भ में)	डॉ. नरेश सिहाग	114-
40.	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व	संजू	116-
41.	उच्च शिक्षा और जीवन कौशल	डॉ.पंडित बन्ने	119-
42.	Inclusive Education : Policies & Programs	Dr. Sangeeta Aggarwal	121-
43.	आयुर्वैदिक वाड्.मय में अनुस्यूत योग शिक्षा	डॉ0 पूनम	123-
44.	उच्च शिक्षा में अभिगम्यता व गुणवत्ता	महावीर प्रसाद	129-
45.	समाज में शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए	सुमन बाला	131-
46.	राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा में जागरुकता	पूजा बाई	134-
47.	वर्तमान में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन	रंजना जैन	136-
48.	NEEDS AND IMPORTANCE OF ENCLUSIVE EDUCATION	Mr. Rajinder Kumar	137-
49.	समावेशी शिक्षा एक परिचय	सुमन रानी	141-
50.	सम्पूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन (TQM) में प्रधानाचार्यों के नेतृत्व की भूमिका	रितु सिंह महियारिया	143-
51.	समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय	अल्पना शर्मा	146-
52.	समावेशी शिक्षा : उद्देश्य चुनौती एवं समाधान	डॉ0 नीलम देवी	149-

Scanned by CamScanner

 ISBN : 978-81-936150-4-1

समावेशी और गुणात्मक शिक्षा : चुनौतियाँ और मुद्दे

Inclusive and Quality Education : Challenges and Issues

समावेशी शिक्षा : प्रचलन एवं चुनौतियाँ

सारांश.समावेशी शिक्षा कक्षामें विविधता की मनोवृत्ति को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रसार के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्शिक रिपोर्ट 2015.16 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजातिए मुस्लिम तथा निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इतने वर्षों से इतने प्रयासों के बाद भी हम पूर्ण समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अनेक दिव्यांग बच्चे, पिछड़े तथा वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। इसका प्रमुख कारण वे चुनौतियां हैं, जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी विद्यमान हैं। समावेशी शिक्षा की दो प्रमुख संस्थाएं है – परिवार तथा शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक स्तर पर. लिंग भेद भाव एशारीरिक मानसिक चुनौती वालों के प्रति दृष्टिकोंणए सामाजिक–आर्थिक वंचित वर्ग के प्रति नजरियाए अतिसंरक्षण एवं अस्वीकरण यशैक्षिक संस्थानों के स्तर पर दृप्रशिक्षित शिक्षकों का अभावए भौतिक संसाधनों की कमीए अनपयुक्त पाठ्यचर्याए दोषपूर्ण प्रवेश नीतिए विशिष्ट बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोणय प्रशासनिक स्तर पर. प्रशासनिक भ्रष्टाचारए योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना आदि अनेक चुनौतियां है । इस प्रकार हम देख रहे कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में अनेक चुनौतियां से जूझ रही है, जिनका समाधान किये बिना समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः आज आवश्यकता है कि हम पारिवारिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विशिष्ट उपाय अपनाएं जिससे समावेशी शिक्षा की चुनौतियों का समाधान हो सके तथा समावेशी समाज का विकास हो।

"Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid."..... Albert Einstein.

किसी भी राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास, इसमें निवास करने वाले सम्पूर्ण लोगों की सम्पूर्ण भागीदारी तथा सम्पूर्ण समावेशन पर ही निर्भर करता है। इस कार्य हेतु देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये, जो समस्त नागरिकों में सामंजस्य स्थापित कर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज समावेशी शिक्षा ऐसी प्रणाली है जो इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में समर्थ है।

हमारे देश में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, जिनमें एक बड़ा वर्ग दिव्यांग बच्चों का है, इसके साथ ही पिछड़े बच्चे, वंचित बच्चे, भाषायी, प्रजातीय, अल्पसंख्यक, अधिकारहीन आदि बच्चे इनमें शामिल हैं। प्रारम्भ में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की शुरूआत विशेश विद्यालयों से हुई, जिनका लाभ निःसन्देह इन बच्चों को हुआ, किन्तु सामान्य बच्चों से पृथक्करण ने इनमें हीनता की भावना को जन्म दिया, जो कि इनके विकास में बाधक बनने लगा। फलतः 'एकीकृत शिक्षा' को जन्म मिला। एकीकृत शिक्षा में भी बच्चों का पूर्ण समायोजन तथा सहभागिता सुनिश्चित न होने के कारण 'समावेशी शिक्षा' को अपनाया गया।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वे विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ, एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों एवं सामग्रियों के साथ उनकी सीखने–सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाये। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता की मनोवृत्ति को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समावेषित शिक्षा स्कीम (2003) के अनुसार – "समावेशित शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले, बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक

Scanned by CamScanner

स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीखे (पढ़) सकें।" समावेशी शिक्षा व्यवस्था मात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों की सभी भौतिक गतिविधियों (पढ़ना–लिखना, खाना–पीना, खेलना–कूदना आदि) में सम्मिलित करके शैक्षिक अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

"समावेशन शब्द का अर्थ अपने आप में कुछ खास नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढांचा होता है, वहीं समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तः क्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। (एन.सी.एफ.–2005, पृ. स. 96)

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय तथा लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रसार के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर निशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना (EDSS) "वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत योजना (IED)"सम्बन्धी पहले की योजना के स्थान पर है तथा कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। 2013 से यह योजना 'रमसा' (RMSA) के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली गई है। 10 जनवरी 2006 को 'विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति' पारित की गई, जिसमें शारीरिक, शैक्षिक तथा आर्थिक तीन प्रकार से पुनर्वास की कार्यवाही पर प्रारूप निर्धारित किया गया। भारत सरकार ने 2007 मे "यू. एन. कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद् डिसएविलिटीज" पर हस्ताक्षर कर तथा 4 अगस्त 2009 को बच्चों के लिए "निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009" पारित कर समावेशी शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2015.16के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता में सुधार हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 19.6 प्रतिशत (2010–11) से बढकर 20.24 प्रतिशत (2013–14) हो गया है, जो उनकी जनसंख्या के भाग से अधिक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 10.70 से बढकर 10.85 तथा अल्पसंख्यकों का नामांकन 12.50 प्रतिशत से बढकर 13.52 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार विशिष्ट प्रस्तावों के अनुरूप निःशक्त बच्चों के समावेशन हेतु प्रति बच्चा 3000 रूपये की दर से वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा की बेहतर पुनश्चर्या हेतु 27.04 लाख शिक्षकों को 3–5 दिवसों का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नियमित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 20910 संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए है। राज्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता के लिए माता–पिता परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन के अनेक प्रयास किये जा रहे है।

इतने वर्षों से इतने प्रयासों के बाद भी हम पूर्ण समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अनेक दिव्यांग बच्चे, पिछड़े तथा वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। इसका प्रमुख कारण वे चुनौतियां हैं, जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी विद्यमान हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं–

समावेशी शिक्षा की चुनौतियां :– समावेशी शिक्षा की दो प्रमुख संस्थाएं है – परिवार तथा शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान। ये दोनों ही संस्थाएं बच्चे के समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पारिवारिक तथा शैक्षिक तंत्र स्तर पर समावेशन के क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं–

पारिवारिक स्तर पर चुनौतियां :– बच्चे के समावेशन की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है। विशेष

Scanned by CamScanner

आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है। यदि परि के निर्णयों में सहभागिता है, सभी को सहमति, असहमति के समान अवसर हैं तो बच्चे को समावेशन के बारे में मज सकारात्मक अनुभव होंगे, इसके विपरीत होने पर नकारात्मक। पारिवारिक स्तर पर समावेशन के क्षेत्र में कुछ चुनौति है, जो इस प्रकार है –

1. लिंग भेद भाव – आज भी अनेक परिवारों में खान–पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय सहभागिता में लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो समावेशन में एक बाधक कारक है।

2. शारीरिक मानसिक चुनौती वालों के प्रति दृष्टिकोण–परिवार में या आस–पास विशेष शारीरिक–मानसिक चुनौ वाले बच्चों के प्रति परिवार का नकारात्मक दृष्टिकोंण, समावेशन की एक प्रमुख चुनौती है।

3. सामाजिक–आर्थिक वंचित वर्ग के प्रति नजरिया – आज भी उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले परिवारों निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के बच्चों के प्रति हेयभाव (घृणित दृष्टिपूर्ण व्यवहार) अपनाया जाता है। कक्षा में ऐसे उच वर्ग के बच्चे, निम्न वर्ग के बच्चों को हीनता की दृष्टि से देखते है, जो कि समावेशन में एक बाधक कारक है ।

4. अतिसंरक्षण एवं अस्वीकरण – परिवार में दिव्यांग बच्चों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोंण अतिसंरक्षण का होत है, जिससे ये बच्चे हमेशा आश्रित बने रहते हैं। साथ ही उन्हें समाज में सामान्य बच्चों की तरह स्वीकरण भी नहीं मिलत जिससे न केवल उनमें हीनता की भावना आती है, उनका विकास भी अवरूद्ध होता है।

शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर चुनौतियां – परिवार के बाद बच्चा जिस लघु समाज से परिचित होता है, वह है उसका शिक्षण संस्थान, जिसका बच्चे के समावेशन में अत्यधिक योगदान होता है। एन.सी.एफ 2005 के अनुसार – "समावेशन की नीति को हाइ स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किये जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है स्कूल को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाये और यह सुनिश्चित किय जाए कि सभी बच्चे, खासकर शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों एवं कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों क इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ मिल सके।" राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनेक प्रावधानों के बावजूद भी शिक्षण संस्थान समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं को समावेशी शिक्षा के प्रसार में जिन चुनौतियों का सामन करना पड़ रहा है, वे निम्न प्रकार है–

1. प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव– विविधतापूर्ण कक्षा में अध्यापन कराना, स्वंय में एक मुश्किल कार्य है, जिसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। हमारे देश में अभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है।

2. भौतिक संसाधनों की कमी – एक सामान्य स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रेल उपकरण, विशिष्ट फर्नीचर, विद्यालय भवन की बनावट, पानी, टॉयलेट की विशिष्ट सुविधा, विशिष्ट शिक्षण उपकरण आदि। आज भी हमारे अधिकांश विद्यालयों में इनका अभाव देखने को मिलता है।

3. अनपयुक्त पाठ्यचर्या – हमारे विद्यालय/वि. वि. में लागू पाठ्यक्रम इस प्रकार है जो समरूप से विशिष्ट तथा सामान्य बालकों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता, जो कि समावेशन में एक प्रमुख बाधा है।

4. दोषपूर्ण प्रवेश नीति–प्रायः यह देखा जाता है उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आज भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपने वहाँ प्रवेश नहीं देते है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रत्यक्षतः उल्लंघन है। इस वजह से भी विद्यार्थियों का समावेशन नहीं हो पा रहा है।

5. विशिष्ट बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण – अनेक शिक्षक तथा प्रशासक विशिष्ट बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते, उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समावेशित नहीं हो पाते।

प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियां– हम देख रहे है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक योजनाएं बन रही हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन सही रूप में नहीं होने से उनका लाभ बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर कुछ चुनौतियां इस प्रकार है–

Scanned by CamScanner

1. प्रशासनिक भ्रष्टाचार–विद्यालयों, वि.वि. में विशिष्ट बच्चों की शिक्षा हेतु उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु समय–समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह उन बच्चों तक बहुत कम पहुंच पाता है, फलतः उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती।

2. योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना – विशिष्ट बच्चों के लिए समावेशन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कागजों में ही चल रही हैं। इन कार्यक्रमों की जांच के लिए टीम भी गठित होती हैं किन्तु उनकी गलत रिपोर्ट के कारण, बच्चों का पूर्णरूपेण अहित हो रहा है, जिसे राष्ट्रीयक्षति कहना उपयुक्त होगा।

इस प्रकार हम देख रहे कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में अनेक चुनौतियां से जूझ रही है, जिनका समाधान किये बिना समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः आज आवश्यकता है कि हम पारिवारिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विशिष्ट उपाय अपनाएं जिससे समावेशी शिक्षा की चुनौतियों का समाधान हो सके तथा समावेशी समाज का विकास हो।

समावेशी शिक्षा के विकास हेतु सुझाव :–

1. समावेशी शिक्षा का प्रारम्भ परिवार से होता है। माता–पिता को विशिष्ट तथा सामान्य बच्चों में बिना भेदभाव समान व्यवहार करना चाहिये। साथ ही दिव्यांग बच्चों के प्रति, चाहे वे अपने हो, या दूसरो के, एक स्वच्छ नजरिया रखना चाहिये, ताकि बच्चे समावेशन की सीख प्राप्त कर सकें।

2. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। ताकि विविधतापूर्ण कक्षा कक्ष में अधिगम स्तर सुनिश्चित हो सके।

3. सरकार की योजनाओं, उपलब्ध करवाये जा रहे वित्त का समुचित लाभ बच्चों को मिल सके, इसके प्रशासनिक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने होंगे तथा दोशियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी।

4. जो शिक्षण संस्थान अपने चहां दिव्यांग बच्चों, वंचित बच्चों या पिछडे बच्चों को प्रवेश नहीं देते है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी ही चाहिये।

5. दूरदराज के पिछडे क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए भाषा भी एक विशिष्ट समस्या होती है, अतः इसके लिए बहुभाषी शिक्षक की नियुक्ति या समय–समय पर उनकी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को बुलाकर अध्यापन करवाया जाना चाहिये।

6. अन्ततः सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना होगा, विशिष्ट बच्चों के प्रति अपना नकारात्मक रवैया बदला होगा, हमें उन पर दया नहीं करनी, बल्कि उनको अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुडकर, राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि समावेशी समाज का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपयोग पर ही निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के बिना समावेशी समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है। समावेशी शिक्षा का प्रसार इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण औजार है। यदि हम सब एक साथ मिलकर इसमें अपना योगदान दें तो यह राष्ट्रनिर्माण में हमारा सबसे बड़ा प्रयास होगा।

संदर्भ

1. एन.सी.एफ.2005
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
3. सर्वशिक्षा अभियान परियोजना – आधारभूत दस्तावेज
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2015.16
5. प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016

डॉ. गिरधारी लाल शर्मा, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
जैन विश्व भारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय)
लाडनूं (राजस्थान) 341306

Scanned by CamScanner